न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 18/2016 आवेदन 144 सीपीसी

छोटी देवी बनाम पूसाराम आदि

आवेदन अर्न्तगत धारा 144 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति–

1. श्री रतनलाल पलसानियां वकील अपीलाण्ट की ओर सें।
2. श्री योगेश शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट्स संख्या 10 लगायत 12 की ओर से।

निर्णय दिनांक – 23.01.2024

1. प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 की ओर से आवेदन अर्न्तगत धारा 144 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि हाल कृषि भूमिया खसरा नम्बर 513 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 539 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 540 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 541 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 542 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.15 हैक्टर किता 7 कुल रकबा 3.00 है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 88 रकबा 11 बीघा 17 बीस्वा हिस्सा 1/2 व खसरा नम्बर 453 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 494 रकबा 1.32 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.62 है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 101 रकबा 10 बीघा 7 बीस्वा एवं हाल खसरा नम्बर 461 रकबा 1.05 है0 खसरा नम्बर 462 रकबा 1.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.43 है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 105 रकबा 9 बीघा 12 बीस्वा तथा हाल खसरा नम्बर 498 रकबा 0.90 है0 खसरा नम्बर 499 रकबा 0.43 है0 खसरा 640/502 रकबा 1.34 है0 खसरा नम्बर 512/627 रकबा 0.24 है0 खसरा नम्बर 500 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 501 रकबा 0.90 है0 खसरा नम्बर 543 रकबा 0.10 है0 खसरा नम्बर 638/499 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 639/502 रकबा 0.06 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 4.25 है0, जिसके साबिक खसरा नम्बर 124/2 रकबा 1 बिस्वा एवं साबिक, खसरा नम्बर 124/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा ग्राम माण्डोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमियां नुन्दाराम पुत्र झूथाराम की खातेदारी में रही है। नुन्दाराम के स्वर्गवास होने पर उक्त विवादित कृषि भूमियां नुन्दाराम के वारिशान उसके पुत्रगण एवं पत्नि के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.1983 के द्वारा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 124/1 व खसरा नम्बर 124/2 कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 17 बीस्वा को प्रार्थीगण/आवेदकगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.11.1983 को रेस्पोडेन्टस पूसाराम किशनाराम रामलाल श्योपाल ताराचन्द भागूराम व उनकी माता जडावली देवी से क्रय कर कब्जा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

प्राप्त कर लिया। तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरण संख्या 100 के द्वारा खातेदारी अकन दर्ज कर दिया गया प्रार्थी/आवेदकगण उक्त वाद वर्णित/अपीलाधीन कृषि भूमियों पर दिनांक 23.11.1983 से लगातार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमियों पर रिहायशी मकान, पशुओं का बाडा, नोहरा एवं सिंचाई के लिये ट्यूबवैल बना रखे है। उक्त ट्यूबवैल पर कृषि के लिये विद्युत सम्बन्ध भी ले रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमियों पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर बैंक से ऋण भी प्राप्त कर रखा हैं। उक्त कृषि भूमियों का प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस ने विधिवत बंटवारा भी कर रखा है, उसी बंटवारा के अनुसार जमाबन्दी में अमल दरामद किया जाकर खातेदारी अलग अलग दर्ज कर दी गयी है। अपीलान्ट छोटी देवी पुत्री नुन्दाराम के उक्त नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.1983 के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2016 को अर्थात 33 साल पश्चात अपील पेश की उक्त अपील में प्रार्थीगण जो अपीलाधीन कृषि भूमियां हाल खसरा नम्बर 498, 500, 501, 637/499, 639/502, 640/502, 512/627, 543, 638/499 के काबिज काश्तकार खातेदार है को बिना पक्षकार बनाये ही अपील पेश कर दी। अपीलान्ट छोटी देवी द्वारा उक्त अपील को माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.05.2017 को स्वीकार करते हुये निर्णय पारित किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.1983 बतस्दीक ग्राम पंचायत रलावता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज. खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मृतक नुन्दाराम के वारिशान के सम्बन्ध में समुचित जांचकर सभी वारिशानों के नाम पुनः नामान्तकरण भरवाकर तस्दीक करें। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 17.05.2017 की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ ने भी प्रार्थीगण को बिना सुने आदेश दिनांक 17.05.2017 के द्वारा उक्त अपीलाधीन कृषि भूमियों की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 332 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 के पिता स्व. नुन्दाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय संभाग जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 03/2021 बउनवानी धन्नाराम आदि बनाम छोटी देवी आदि दर्ज की गई। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय संभाग जयपुर ने द्वितीय अपील संख्या 03.2021 बउनवानी धन्नाराम आदि बनाम छोटी देवी में दोनो पक्षों को सुनकर दिनांक 12.10.2021 को निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय के द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय संभाग जयपुर ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 03.2021 बउनवानी धन्नाराम आदि बनाम

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

छोटी देवी आदि को स्वीकार करते हुये पत्रावली रिमाण्ड कर माननीय न्यायालय को दोनों पक्षो का सुनवायी का अवसर देकर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है, इसलिये हस्तगत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं। माननीय न्यायालय द्वारा हस्तगत अपील में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 को माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय संभाग जयपुर के द्वारा दिनांक 12.10.2021 को खारिज कर दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2017 की पालना में श्रीमान तहसीलदार दांतारामगढ़ ने नामान्तकरण संख्या 332 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा उक्त अपीलाधीन कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में फेर बदल कर दिया चूंकि जिस निर्णय दिनांक 17.05.2017 की पालना में नामान्तकरण संख्या 332 दिनांक 18.01.2021 दर्ज किया गया था, वह आदेश दिनांक 17.05.2017 को उच्चतर न्यायालय माननीय संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर द्वारा दिनांक 12.10.2021 को खारिज कर दिया गया है। उक्त विवादित अपीलाधीन कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 332 का अंकन आज भी प्रभावी है, जबकि उक्त नामान्तकरण जिस आदेश से दर्ज किया गया था, वह आदेश निरस्त हो चुका है, इसलिये न्यायहित में नामान्तकरण संख्या 332 दिनांक 18.01.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलाधीन कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण संख्या 332 दिनांक 18.01.2021 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश पारित किया जाना न्याय हित में उचित एवं आवश्यक है। अतः माननीय जी आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख की स्थिति नामान्तकरण संख्या 332 दिनांक 18.01.2021 से पूर्व की स्थिति पुनर्स्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

2. आवेदन को स्वीकार करने हेतु वकील अपीलांण्ट ने अनापति जाहिर की तथा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 विधि अनुसार भी स्वीकार किया जाने योग्य है व यह भी निवेदन किया कि अगर उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है तो वह भी उक्त अपील को इसी स्तर पर विड्रो कर लेंगे व आगे नही चलाना चाहते है। इस संबंध में आदेशिका पर भी हस्ताक्षर किये। आवेदन पर बहस सुनी गयीं।

3. सुनी गयी बहस व विधिक प्रावधानों पर मनन किया गया। सिविल प्रकिया संहिता धारा 144 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में प्रावधान है :–

"जहां कि और जहां तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्ववाही में फेरफार किया जाए या उसे उलटा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपान्तरित किया जाए वहां और वहां त कवह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था, उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

फायदा पाने का हकदार है, ऐसे प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार, जहा तक हो सके, उस स्थिति में हो जाएंगे जिसमें वे होते यदि वह डिक्री या आदेश या उसका भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उलटा गया है या अपास्त किया गया है या उपान्तरित किया गया है, न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिसके अन्तर्गत खर्चो के प्रतिदाय के लिए और ब्याज, नुकसानी, प्रतिकर और अन्तःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होगें, कर सकेगा जो उस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने, उलटने, अपास्त करने या उपान्तरण के उचित रूप में पारिणामिक है'।

वकील अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अपील टीए/5548/2016 गंगानगर लालूराम बनाम लाली निर्णय दिनांक 13.06.2019 यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की निर्णय व डिक्री को उलट दिया जाता है तो विचारण न्यायालय उस डिक्री की विधि मान्यता का परीक्षण करने के बजाय धारा 144 सीपीसी के तहत पुनर्स्थापना के आवेदन को स्वीकार करने हेतु बाध्य है।

4. अतः विधिक प्रावधानों के मध्यनजर व उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता है तथा नामान्तकरण संख्या 332 दिनांक 18.01.2021 को खारिज किया जाता है व उससे पूर्व की स्थिति पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया जाता है। चुकि उक्त आदेश हो जाने पर अपीलांट अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहते है अतः अपील भी इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़